

#### असाधारण

#### EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राधिकार से प्रकाशित

### PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 317] No. 317] नई दिल्ली, मंगलवार, मई 19, 2015/वैशाख 29, 1937

NEW DELHI, TUESDAY, MAY 19, 2015/VAISAKHA 29, 1937

## कारपोरेट कार्य मंत्रालय

# अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 मई, 2015

सा.का.िन. 395(अ).—केन्द्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 469 के साथ पठित धारा 133 द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के कारपोरेट कार्य मंत्रालय की अधिसूचना सं.सा.का.िन. 179(अ) तारीख 3 मार्च, 2011 और सा.का.िन.650(अ) तारीख 29 अगस्त, 2011 द्वारा भारत के राजपत्र, भाग II, उपंखड (i) में अधिसूचनाओं को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, तत्काल प्रभाव से विखंडित करती है।

[फा. सं. 01/01/2009 सीएल-V]

अमरदीप सिंह भाटिया, संयुक्त सचिव

# MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS NOTIFICATION

New Delhi, 18th May, 2015

**G.S.R. 395(E).**—In exercise of the powers conferred by section 133 read with section 469 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby rescinds the notifications of the Government of India in the Ministry of Corporate Affairs, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section (3), Sub-Section (i), vide number G.S.R 179 (E), dated the 3<sup>rd</sup> March, 2011 and G.S.R 650 (E), dated the 29<sup>th</sup> August, 2011, with immediate effect, except as respects things done or omitted to be done before such rescission.

[F. No. 01/01/2009 CL-V]

AMARDEEP SINGH BHATIA, Jt. Secy.

2210 GI/2015